एत्माद–उद–दौला मक़बरा का भावकाव्यात्मक रूप में "संगमरमर में छुपे रत्न मंजूषा" के रूप में वर्णन हुआ है। भव्य चार बाग युक्त यह मकबरा पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित है। एत्माद–उद–दौला जहाँगीर के समय मुग़ल शाही ख़जाने के मालिक थे। इनका वास्तविक नाम मिर्जा गयास–उद–दीन बेग था, तथा ये जहाँगीर की प्रिय रानी नूरजहाँ के पिता थे, जिन्हें एत्माद–उद–दौला की उपाधि से नवाजा गया था। बाद में उन्हें वजीर की पदवी प्राप्त हुई। इस मकबरे के निर्माण का आरम्भ मिर्जा गयास–उद–दीन बेग के जीवन काल में ही सन् 1622 ई0 में हो गया था तथा इसके पूर्ण होने में छः वर्ष का समय लगा। नूरजहाँ द्वारा इस मक़बरे का निर्माण कराया गया था। लाहौर में स्थित जहाँगीर एवं नूरजहाँ का मक़बरा भी इसी शैली में निर्मित है। ताजमहल के निर्माण के पूर्व आगरा शहर में यही सबसे आकर्षक ईमारत थी। एत्माद–उद–दौला के मक़बरे को मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। इस मकबरे के उद्यान में फारसी फब्बारे स्थापित हुए तथा मध्य में स्थापित मकबरे के सम्पूर्ण दृश्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए दीवारों के किनारे सरों के वृक्ष लगाये गये थे।

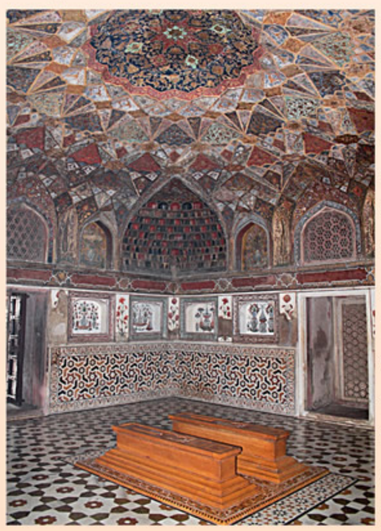

एत्माद–उद–दौला का मकबरा स्थापत्य की दृष्टि से अन्य मुगल संरचनाओं से काफी भिन्न है। मकबरा का स्थल ताजमहल के समान विशाल न होने के बावजूद भी काफी आकर्षक है। यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित पूर्णरूप से संगमरमर द्वारा निर्मित इस मकबरे में अर्द्धबहुमूल्य नगीनों, रंगीन पच्चीकारी एवं जाली के निर्माण में फारसी प्रभाव दिखाई देता है।

शैलीगत आधार पर यह 17वीं शताब्दी में नवीन पद्धति में निर्मित मुगल स्मारक है, जिसमें अकबर के विशाल एवं प्रमुख रूप से लाल पत्थरों द्वारा निर्मित स्थापत्य तथा शाहजहां के ताजमहल जैसे अतीन्द्रिय परिष्कृत स्थापत्य के मध्य का संक्रमण दिखायी देता है।

चारबाग़ पद्धति में विकसित बागीचा के मध्य वर्गाकार द्वि–मंजिला मकबरा निर्मित है। चारों ओर विशिष्ट फारसी शैली में विशाल दीवार एवं उसमें लाल बलुआ पत्थरों से चार भव्य प्रवेश द्वार निर्मित हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित चबूतरे पर संगमरमर से मकबरे का निर्माण हुआ है। चारों कोणों पर चार मीनारें विद्यमान हैं। मकबरे पर निर्मित आयताकार छतरीनुमा गुम्बद इस काल के पारम्परिक गुम्बदों से भिन्न परन्तु बहुत आकर्षक है।

इस इमारत के भीतर समानान्तर रूप में निर्मित विशाल मध्य–कक्ष में एत्माद–उद–दौला एवं उनकी पत्नी असमत बेगम की कब्रें विद्यमान हैं। इस कक्ष के चारों ओर छोटे–छोटे कक्ष निर्मित हैं, जिनमें नूरजहाँ के प्रथम पति शेर अफगन (शेर अफगान के नाम से प्रसिद्ध) से पैदा हुई बेटी लाडली बेगम सहित परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रें विद्यमान हैं। प्रथम तल पर जाने हेतु बलुए पत्थर की सीढ़ियों का निर्माण हुआ है, जहाँ मध्य कक्ष के ऊपर मण्डप से आच्छादित एवं कमल की आकृति युक्त दो बुर्जियों एवं सज्जित मीनारों से शोभायमान आयताकार सुन्दर गुम्बद निर्मित है। इस मण्डप में सादे संगमरमर द्वारा निर्मित बेनाम कब्रें भी विद्यमान हैं।

इमारत के ऊपरी भाग में चारों ओर संगमरमर की छतरी से आच्छादित लगभग 40 फीट ऊँची चार वृत्ताकार मीनारें स्थित हैं।

कब्रों एवं भू–तल की दीवारों पर फारसी भाषा में अभिलेख अंकित हैं। दीवारों पर कुरान की पवित्र आयतें तथा कब्रों पर सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम एवं उपाधियाँ उत्कीर्ण हैं।

अकबर के मकबरे के निर्माण के कुछ समय पश्चात ही कीमती नगीनों द्वारा पच्चीकारी करने का कार्य आरम्भ हुआ। संगमरमर की चमकीली सतह पर पित्रा ड्यूराँ की शैली में नगीनों की पच्चीकारी तकनीक का उपयोग किसी मुग़ल स्थापत्य में प्रमुखता से पहली बार इसी स्मारक में किया गया है। इस तकनीक की उत्पत्ति मुगल स्थापत्य के प्रारम्भिक अल्पविकसित पच्चीकारी से हुई। पित्रा ड्यूराँ संगमरमर पर रंगीन अर्ध कीमती नगीनों की पच्चीकारी की यूरोपियन शैली है, जो 17वीं शताब्दी ई0 में मुगलकालीन भवनों को अलंकृत करने में लोकप्रिय हुई। इस तकनीक को इतालवी भाषा में पित्रा ड्यूराँ कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ है "कठोर पत्थर"।

एत्माद–उद–दौला का मकबरा अपने सम्पूर्ण सतह पर अति चमकीली और पच्चीकारी के तरीकों में अत्यधिक सजावट के लिए जाना जाता है। अलंकरण की योजना में गुलदस्ता, गुलाब इत्र–दान, अंगूरों, मदिरा पात्र एवं मर्तबानों तथा अन्य फारसी अभिप्रयों का स्वच्छन्दता पूर्वक अंकन किया गया है। अधिकतर, मर्तबान के आकार के गुलदस्तों की आंतरिक सतह पर हुए अंकरण में पशुओं के चित्रों का अंकन हुआ है। इस्लामी परम्परा के विपरीत मानव आकृतियों का भी अंकन चित्रित पट्टों पर

हुआ है। मकबरे के प्रकोष्ठ की आन्तरिक छत को चूना मिश्रित तकनीक से सुनहरे प्लास्टर पर खुरचकर एवं चित्र बनाकर सजाया गया है। पीले संगमरमर (जैसलमेर का खटटू) से निर्मित ताबूत पर लकड़ी की भाँति बारीक पच्चीकारी दर्शनीय है।

मकबरे का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वाभिमुख है, जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी द्वार अत्यधिक अलंकृत हैं। पचिमी द्वार पर बहुमंजिली गलियारा निर्मित है, जिसमें यमुना नदी की ओर झरोखे जैसे लघु कक्षों का निर्माण हुआ है। बगीचों एवं मकबरे के चारों ओर फैली हुई छिछले जल युक्त नालियों में मूलरूप से नदी की ओर निर्मित दो कुण्डों से जलापूर्ति की जाती थी।

अन्य मुगल स्मारकों की भाँति इस स्मारक परिसर में भी कुशलतापूर्वक जल निर्गमन के स्थापत्य की व्यवस्था की गयी थी। नीचे उतरते पानी की लहरों को ढलुवाँ रैम्प (सीढ़ी एवं पानी के गिराने के मध्य) द्वारा नीचे उतार कर पत्थर की फर्श में काटी गयी नालियों के माध्यम से संचालित किया गया है। जहाँगीर के काल के उत्कृष्ट स्थापत्य में अकबर एवं एत्माद–उद–दौला के मकबरे सम्मिलित हैं। इस काल के भवनों की विशेषताओं में उनको अत्यधिक सजाने–सँवारने की परम्परा रही है। अकबर एवं जहाँगीर के भवनों में प्रायः लाल रंग के पत्थरों के उपयोग में हिन्दू प्रभाव सशक्त रूप से दिखायी देता है। भवनों की आन्तरिक एवं बाह्य भित्तियों को ज्यामितीयक अलंकरण, पुष्पीय तथा पशुओं की आकृतियों से सज्जित किया गया

है। इसका विशिष्ट उदाहरण फतेहपुर सीकरी में निर्मित भवनों तथा आगरा के किले में निर्मित जहाँगीर के महल में दिखाई देता है। यद्यपि जहाँगीर ने बहुत कम भवनों का निर्माण कराया परन्तु , उसके काल में निर्मित एत्माद–उद्–दौला का मकबरा, आगरा किले में निर्मित जहाँगीर महल एवं उसके पिता अकबर का मकबरा जैसी कतिपय संरचनाएं स्थापत्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। संगमरमर पर अत्यधिक व्ययसाध्य पच्चीकारी तथा संगमरमर के एक ही शिलापट पर निर्मित जाली की नक्काशी के बारीक कार्य के कारण एत्माद–उद्–दौला का यह मकबरा ताजमहल की खूबियों की पंक्ति में आ खड़ा होता है।

सार्वजनिक सूचना :–

समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों के प्रतिनिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र में किसी भी मरम्मत/भवन नवीनीकरण/वास्तु संरचना आदि के निर्माण के पूर्व (प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 एवं नियम 1959 तथा प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत) सक्षम प्राधिकारी/राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है।

- संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के न्यूनतम ''प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र'' और ''विनियमित क्षेत्र'' की सीमाएं संरक्षित क्षेत्र से क्रमशः 100 मी. और प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र के आगे 200 मी. निर्धारित की गई हैं।
- प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र में किसी सार्वजनिक परियोजना अथवा अन्य किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है।
- प्रतिनिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून 1992 से पूर्व हुये निर्माणों में भी मरम्मत/जीर्णोद्धार आदि के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है।
- उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
- भारत सरकार द्वारा अपने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों के प्रतिनिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में मरम्मत/निर्माण के लिए अनुमति के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मण्डलायुक्त, आगरा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

कृपया :–

- स्मारक को साफ सुथरा रखने में सहयोग दें।
- स्मारक के प्राकृतिक सौन्दर्य को बनाए रखने में सहयोग दें।
- यदि कोई व्यक्ति स्मारक को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाता दिखे तो उसे रोकें व सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करें।
- अपनी विरासत की महत्ता को समझते हुए इसकी सुरक्षा हेतु जन संचेतना के प्रचार–प्रसार में सहयोग दें।
- स्मारक की गरिमा को बनाए रखें।
- यह स्मारक एक अमूल्य धरोहर है, इसे सहेज कर गौरवान्वित महसूस करें।

एत्माद–उद्–दौला का मकबरा
आगरा

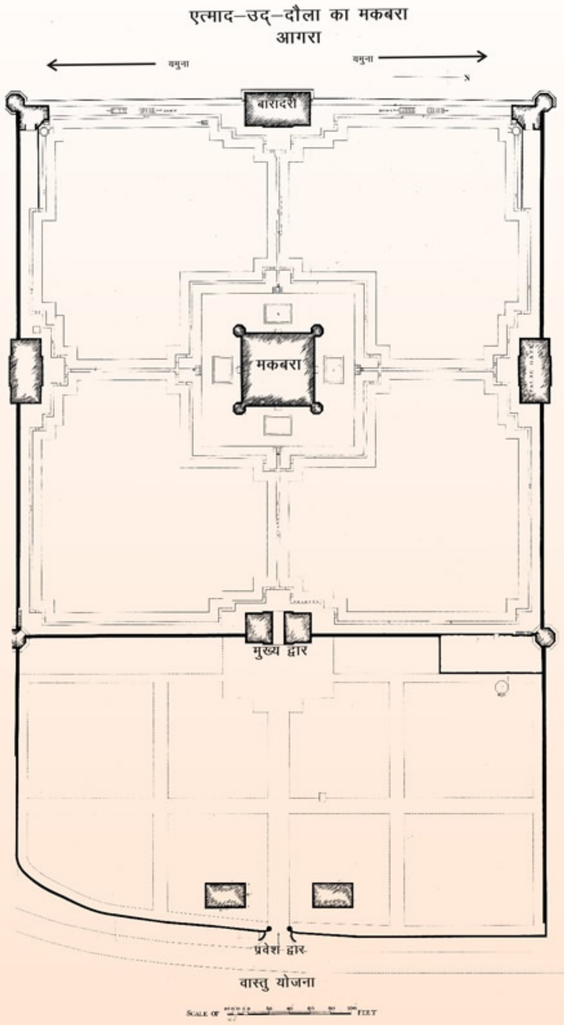

वास्तु योजना

एत्माद-उद्-दौला का मकबरा

प्रकाशक

अधीक्षण पुरातत्वविद्

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

आगरा मण्डल, 22 माल रोड़, आगरा–282001

दूरभाष सं0. 91-562-2227261 / 63 Fax-91-562-2227262

ई–मेल:- circleagr.asi@gmail.com

वेबसाइट : www.asiagracircle.in

विभागीय वेबसाइट : www.asi.nic.in

© भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

2013

प्रत्नकीर्तिमपावृणु

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
आगरा मण्डल, आगरा